

फा.सं. 66/4/2018-ईओ-एमएम(सीवीओ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 13 दिसंबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीवीओ, बीपीसीएल, इलाहाबाद के पद के अतिरिक्त प्रभार में विस्तार।

संदर्भ: उपर्युक्त विषय पर भारी उद्योग विभाग का दिनांक 13.11.2019 का का.जा.सं. 2(3)/2005-पीई-IV

2. मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने श्री आलोक रंजन, आईपीएस (म.प्र.91), मुख्य सर्तकता अधिकारी, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), दिल्ली (संयुक्त सचिव स्तर) को प्रदान किए गए मुख्य सर्तकता अधिकारी, भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद के पद (निदेशक स्तर) के अतिरिक्त प्रभार में दिनांक 20.09.2019 के बाद से दिनांक 02.03.2020 तक की अवधि के लिए (अर्थात् उनके आरंभिक 3 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने तक) अथवा बीपीसीएल में मुख्य सर्तकता अधिकारी की नियमित रूप से नियुक्ति होने, अथवा, अगले आदेशों, जो भी पहले हो तक, विस्तार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।



(जे. श्रीनिवासन)

निदेशक (एमएम)

दूरभाष सं. 23092842

भारी उद्योग विभाग

(श्री आशा राम सिहाग, सचिव)

उद्योग भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय (सुश्री कविता वी. पद्मनाभन, उप सचिव), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री अमनदीप गर्ग, संयुक्त सचिव), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए आईएनए, नई दिल्ली-110023
4. राज्यमंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव/सचिव (कार्मिक) के पीएसओ/ईओ के पीपीएस/निदेशक (एमएम)।
5. गार्ड फाईल।



(जे. श्रीनिवासन)

निदेशक (एमएम)